रजिस्टर्ड नं० एल०-33/13-14/93.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 29 नवम्बर, 1993/8 अग्रहायण, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अक्तूबर, 1993

संख्या एल० एम० जी०-(ए०) 13/84-भाग-3.—हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1968 (1968 का 19) की धारा 214 के साथ पठित धारा 198 के खण्ड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित क्षेत्र समिति जोगिन्दरनगर द्वारा बनाई गई निम्नलिखित उपविधि जिनकी भारत के राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 215 के अधीन यथा-अपेक्षित पुष्टि कर दी है, जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा राजपत्र असाधारण, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की जाती है, अर्थात् : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —इन उपविधि का संक्षिप्त नाम अधिसूचित क्षेत्र समिति जोगिन्दरनगर की सीमाओं में इश्तहार और बिल लगाने को विनियमित करने हेतु उपविधि, 1993 है।

3222-राजपत्र/93-29-11-93—1,155.

मूल्य : 1 रुपया ।

2. परिभाषाएं .—इन उपविधियों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) 'ऐक्ट' से हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल ऐक्ट, 1968 अभिप्रेत है;

(ख) 'बिल' से कोई इश्तहार, सूचना और विज्ञापन, मुद्रांकित कागज या दीवारों पर बोर्ड या पेंटिंग अभिप्रेत है;

(ग) 'समिति' से अधिसूचित क्षेत्र समिति जोगिन्दरनगर अभिप्रेत है;

(घ) 'सचिव' से समिति का सचिव अभिप्रेत है; और

(ङ) 'अनुसूची' से साईन बोर्ड इत्यादि के बारे में फीस की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. कोई भी व्यक्ति, सचिव की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी स्थान या सम्पत्ति चाहे निजी या सार्वजनिक हो, सार्वजनिक गली या सड़क पर बिल, इश्तहार, विज्ञापन, सूचना आदि सफेद घुलने वाले रंग या पेंट से न तो चिपकाएगा, लगाएगा या लटकाएगा या न ही चिपकवाएगा, लगवाएगा या लटकवाएगा।

अपवाद :—सरकारी कार्यालयों, सहयोजनों या वाणिजियक फर्मों द्वारा उनकी अपनी सूचनाओं, विज्ञापनों आदि के लगाने के लिए निजी बोर्ड खड़े किये जा सकेंगे।

4. अधिसूचित क्षेत्र समिति इश्तहार, सूचना और विज्ञापन चिपकाने, लगाने या लटकाने के प्रयोजन के लिए सूचना बोर्डों का प्रबन्ध करेगी जो सचिव को आवेदन करने पर इन उपविधियों में विहित की गई फीस के संदाय पर प्रयोग के लिए उपलब्ध होंगे।

5. अशिष्ट आवृति या भाषा वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। सचिव ही विज्ञापनों की शिष्टता या अन्यथा विनिश्चय करने का प्राधिकारी होगा, और उसके विनिश्चिय के विरुद्ध अपील समिति के प्रधान को की जाएगी जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

6. अनुज्ञा के लिए फीस .—उक्त उपविधि 3 के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा के लिए निम्नलिखित मापमान पर फीस संदेय होगी :—

(क) बिजली या टेलीफोन के स्तम्भों पर पोस्टर = 5/- रुपये प्रतिमास।

(ख) साईन बोर्ड, उनके आकार के अनुसार अनुसूचित दरों पर।

(ग) 0.50 वर्गमीटर से 0.10 वर्गमीटर क्षेत्र या उसके भाग के लिए = 5/- रुपये प्रति मास।

7. जब कोई व्यक्ति विज्ञापन हटाने की अपेक्षा करता है तब वह स्थान को पहले की तरह रखेगा।

8. शास्ति .—इनमें से किसी उपविधि का भंग जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा से और जब भंग लगातार हो तब प्रथम दिन के पश्चात जिसके दौरान भंग जारी रहता है प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माने से जो पच्चीस रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

आदेश द्वारा,

एस0 के0 सूद,
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English Text of Government Notification No. LSG-(A)-13/84 Vol. III, dated 29-10-1993 as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 29th October*, 1993

No. LSG-(A)13/84. Vol. III.—In exercise of the powers conferred under section 215 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968) the President of India having confirmed the following bye-laws made by the Notified Area Committee Jogindernagar under clause (*n*) of section 198 read with section 214 of the aforesaid Act, is pleased to publish the same for general information in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), namely :—

1. *Short title and commencement.*—These bye-laws may be called the Bye-laws to regulate to the posting of Bills and Advertisements within Notified Area Committee, Jogindernagar limits, 1993.

2. *Definition.*—In these bye-laws unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 ;

(*b*) "Bills" means any poster, notice and advertisement, printed paper, or board or paintings on walls etc ;

(*c*) "Committee" means the Notified Area Committee Jogindernagar.

(*d*) "Secretary" means the Secretary of the Committee : and

(*e*) "Schedule" means schedule of fee in respect of sign Boards.

3. No person shall, without the written permission of the secretary stick, fix or hang or cause to struck, fixed or hung or paint in white colour wash or paint bills, poster advertisements, notices etc. over any place or property whether private or public in public street or road.

Exception.—Private boards may be erected on respective premises by Government offices, Associations or mercantile firms, for posting their own notices, advertisements etc.

4. The Notified Area Committee shall provide notice boards for the purpose of sticking, fixing or hanging posters, notices and advertisements which will be available for use on an application to the secretary, on payment of fee prescribed in these bye-laws.

5. Advertisement containing indecent pictures or language shall not be allowed. The secretary shall be the authority to decide as to the decency or otherwise of the advertisements and the appeal against his decision shall be made to the President, of the committee, whose decision shall be final.

6. *Fee for permission.*—A fee at the following scale shall be payable for every permission granted under bye-law No. 3 above :—

(*a*) Kiosks on electric or telephone posts.. Rs. 5.00 per mensum.

(*b*) Sign boards at the Scheduled rates according to the size of sign board.

(*c*) Rs. 5 for area ranging from 0.10 sq. meters to 0.50 sq. meters per month or part thereof.

7. When a person desires to remove the advertisement, he will put the space as it was before.

8. *Penalty.*—Breach of any of these bye-laws shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and, when the breach is a continuing one, with further fine which may extend to twenty five rupees for every day after the first day during which the breach continues.

By order,

S. K. SOOD,
Commissioner-cum-*Secretary* (*LSG*).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।